उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः /उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2021–22/का.आ./1656

दिनांकः– 17 मई, 2021

कार्यालय – ज्ञाप

निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा किसी शासकीय भवन/परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की दशा में प्रशिक्षण प्रदाता को देय कुल प्रशिक्षण लागत की 20% धनराशि सम्बन्धित शासकीय संस्था को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय–ज्ञाप सं0: 4870/उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2020–21/स0लि0शि0प0/1721 दिनांक 15.06.2020 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये थे।

राज्य संचालन समिति द्वारा अपनी 14वीं बैठक दिनांक 30.03.2021 में उक्त आदेश से अनुसमर्थित करते हुए पुनः स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के पूर्व सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता व प्रश्नगत शासकीय संस्था के मध्य उक्त आशय की परस्पर सहमति स्थापित होनी आवश्यक है तथा उक्त विषयक अभिलेख प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण प्रदाता को देय प्रशिक्षण धनराशि में से 20% धनराशि सम्बन्धित शासकीय संस्था को भुगतान की जा सकेगी।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर उक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जानी अनिवार्य होगी।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः 170 /उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2021–22/का.आ./1656 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
3. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. समस्त प्रशिक्षण प्रदाता (राजकीय, निजी, फ्लैक्सी) अनुबंधित, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. प्रबंधक (आई0टी0), उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालयादेश पंजिका।
7. गार्ड फाइल।

17/5/21

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक